



## ऑवर द टॉप (OTT) वनियमन हेतु: प्रसारण सेवा वनियमन अधिनियम 2023 का मसौदा

यह एडिटोरियल 16/11/2023 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित [“Regulating OTT: Draft Broadcasting Regulation Bill may be an attempt to control digital infrastructure”](#) लेख पर आधारित है। इसमें प्रसारण सेवा (वनियमन) अधिनियम, 2023 के प्रवेश के बारे में चर्चा की गई है और विचार किया गया है कि अधिनियम का ध्यान वास्तव में सार्वजनिक सेवा पर है या सरकार नियंत्रण एवं वनियमन बढ़ाना चाहती है।

### प्रलिस के लिये:

प्रसारण सेवा (वनियमन) अधिनियम, 2023, [केबल टेलीविज़न नेटवर्क \(वनियमन\) अधिनियम, 1995](#), [ओटीटी प्लेटफॉर्म](#), [डिजिटल मीडिया वनियमन](#)।

### मेन्स के लिये:

प्रसारण सेवा वनियमन अधिनियम 2023 के मसौदे की मुख्य विशेषताएँ, अधिनियम के पक्ष में तर्क, अधिनियम के विपक्ष तर्क, भारत में प्रभावी प्रसारण वनियमन के हेतु आगे की राह।

वर्ष 1995 का केबल टेलीविज़न नेटवर्क (वनियमन) अधिनियम, जो तीन दशकों से रेखक प्रसारण को नियंत्रित करता रहा है, प्रौद्योगिकीय प्रगति और DTH, IPTV एवं OTT जैसे नए प्लेटफॉर्मों के उदभव के कारण चुनौतियों का सामना कर रहा है।

इस परदृश्य में, भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल प्रसारण क्षेत्र में नियामक ढाँचे को सुव्यवस्थित करने के लिये एक व्यापक कानून की आवश्यकता को चिह्नित करते हुए **प्रसारण सेवा (वनियमन) अधिनियम 2023 (Broadcasting Services (Regulation) Bill, 2023)** प्रस्तावित किया है।

यह अधिनियम—जो उभरते मीडिया उद्योग के लिये एक **दूरदर्शी एवं अनुकूलनीय ढाँचा** प्रतीत होता है, भारत में प्रसारण वनियमन के भविष्य के लिये दिशा तय कर रहा है।

## प्रसारण सेवा (वनियमन) मसौदा अधिनियम 2023 की मुख्य विशेषताएँ

- **समेकन और आधुनिकीकरण :**
  - यह एकल अधिायी ढाँचे के अंतर्गत विभिन्न प्रसारण सेवाओं के लिये नियामक प्रावधानों को समेकित एवं अद्यतन करने की दीर्घ अपेक्षित आवश्यकता को संबोधित करता है।
  - **यह ओवर-द-टॉप (OTT)** कंटेंट और डिजिटल समाचार एवं समसामयिकी मामलों के प्रसारण को शामिल करने के लिये अपने नियामक दायरे का विस्तार करता है, जो वर्तमान में आईटी अधिनियम, 2000 और उसके तहत बनाये गए नियमों के माध्यम से वनियमित होते हैं।
- **समसामयिकी परभाषाएँ और भविष्योन्मुख प्रावधान:**
  - उभरती प्रौद्योगिकियों और सेवाओं के साथ तालमेल बनाए रखने के लिये, यह अधिनियम समकालीन प्रसारण शर्तों के लिये व्यापक परभाषाएँ पेश करता है और उभरती प्रसारण प्रौद्योगिकियों के लिये प्रावधानों को शामिल करता है।
- **स्व-नियमन व्यवस्था को सुदृढ़ करना:**
  - यह कंटेंट मूल्यांकन समितियों (Content Evaluation Committees) के प्रवेश के साथ स्व-नियमन (Self-Regulation) को बढ़ाता है और मौजूदा अंतर-वर्गीय समिति को अधिक सहभागी एवं **व्यापक प्रसारण सलाहकार परिषद (Broadcast Advisory Council)** के रूप में विकसित करता है।
- **व्यक्ति कार्यक्रम कोड और वजिज्ञापन कोड:**
  - यह विभिन्न सेवाओं में कार्यक्रम एवं वजिज्ञापन कोड (Programme and Advertisement Codes) के लिये एक व्यक्ति दृष्टिकोण की अनुमति देता है और प्रसारकों (broadcasters) द्वारा स्व-वर्गीकरण एवं प्रतर्बिधित सामग्री के लिये सुदृढ़ पहुँच नियंत्रण उपायों की आवश्यकता रखता है।
- **द्विआंगजनों के लिये अभिगम्यता:**
  - यह अधिनियम व्यापक अभिगम्यता दिशानिर्देशों (comprehensive accessibility guidelines) के मुद्दे के लिये सक्षमकारी प्रावधान

प्रदान कर [द्वियांगजनों](#) की वशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करता है।

■ **वैधानिक दंड और जुर्माना:**

- मसौदा वधियक ऑपरेटरों और प्रसारकों के लिये सलाह, चेतावनी, नदि या मौद्रिक दंड जैसे वैधानिक दंड पेश करता है।
- कारावास और/या जुर्माने का प्रावधान बनाये रखा गया है, लेकिन केवल अत्यंत गंभीर अपराधों/उल्लंघनों के लिये, ताकि विनियमन के प्रती संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित हो सके।

■ **न्यायसंगत दंड:**

- नषिपक्षता और समानता सुनिश्चित करने के लिये मौद्रिक दंड और जुर्माना निकाय की वित्तीय क्षमता से संबद्ध रखे गए हैं, जहाँ उनके नविश और टर्नओवर को ध्यान में रखा जाता है।

■ **इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, प्लेटफॉर्म सेवाएँ और 'राइट ऑफ वे':**

- वधियक में प्रसारण नेटवर्क ऑपरेटरों के बीच अवसंरचना को साझा करने और प्लेटफॉर्म सेवाओं के वहन के प्रावधान भी शामिल हैं।
- इसके अलावा, यह स्थानांतरण (relocation) और परिवर्तनों (alterations) को अधिक कुशलता से संबोधित करने के लिये 'राइट ऑफ वे' (Right of Way) खंड को सुव्यवस्थित करता है और एक संरचित विवाद समाधान तंत्र स्थापित करता है।

**Key Features**

The bill covers **broadcasters, cable and satellite broadcasting networks, radio, and internet broadcasting**

It defines OTT

Proposes compliance with Advertising and Programing Code

**Broadcast Advisory Council** for grievance redressal

Proposes penalties for code violations

## वधियक के पक्ष में कौन-से तर्क हैं?

■ **अद्यतन वधिकि ढाँचा:**

- यह वधियक [केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995](#) से एक परिवर्तन को इंगति करता है।
  - इसे सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा एक 'महत्त्वपूर्ण वधियक' के रूप में वर्णित किया गया है क्योंकि इसका उद्देश्य नियामक ढाँचे को आधुनिक बनाना और OTT, डिजिटल मीडिया, DTH, IPTV और उभरती प्रौद्योगिकियों की गतिशील दुनिया को अपनाना है।
- यह [द्वियांगजन](#) समुदाय के लिये व्यापक अभिगम्यता दिशानिर्देश भी प्रदान करता है।

■ **प्रसारकों को सशक्त बनाना:**

- यह स्व-विनियमन तंत्र के साथ प्रसारकों को सशक्त बनाने के प्रावधानों का प्रवेश कराता है।
- यह नियामक निरीक्षण और **उद्योग स्वायत्तता के बीच संतुलन** बनाने का लक्ष्य रखता है।

■ **कोड के प्रती विभिदति दृष्टिकोण:**


- मसौदा वधियक विभिन्न सेवाओं में कार्यक्रम और वजिजापन कोड के लिये 'एक विभिदति दृष्टिकोण' (a differentiated approach) की भी अनुमतदिता है।
- विभिदति दृष्टिकोण की अनुमतदिता, विनियमों को रैखिक और **ऑन-डमिंड कंटेंट की प्रकृति के अनुरूप बनाया जा सकता है**, जिससे कंटेंट निर्माताओं के लिये अधिक लचीलापन एवं प्रासंगिकता प्रदान की जा सकती है।

## ■ नष्टिपक्षता के उपाय:

- इस वधियक के तहत, नष्टिपक्षता के लयि ढौदरकि दंड को नकिय के नविश और कारोबार(टर्न ओवर) से संबद्ध कयि गया है । नकिय की वत्तियी स्थत्ति के आधर पर दंड आनुपात्कि रूप से नरिधररति कयि जाता है ।
- सीढत्ति वत्तियी कषढता वाले छुटे नकियों की तुलना में अधकि नविश और टर्नओवर वाले बड़े नगिढों को अधकि जुरढाने का सामना करना पड़ सकता है ।

## ■ हत्तिधररक ढागीदररी:

- वधियक सार्वजनकि पररढरश के ढाधयढ से हत्तिधररकों की ढागीदररी को इंगत्ति करता है । उदयुग एकीकृत कानून के लयि सरकर की पहल का स्वगत कर रहा है और उढढीद कर रहा है क इससे अनुपालन एवं परवरतन परकरयिओं को सुवयवस्थत्ति कयि जा सकेगा ।



## वधियक के वपिक्ष में कौन-से तर्क हैं?

### ■ नर्यित्रण एवं वनियिढन की आशंकाएँ:

- वधियक इस संबध में चत्ति को जन्ढ देता है क इसका धयान वास्तव में सार्वजनकि सेवा पर है या सरकर नर्यित्रण एवं वनियिढन ढढाने की ढंशा रखत्ती है ।
- ऐसी आशंकाएँ हैं क यिह वधियक डजिटिल अवसंरचना और नागरकिों के देखने के वकिल्पों (viewing choices) पर सरकारी नर्यित्रण को ढढा सकता है ।

### ■ ढसौदे में ढौजूद असपष्ट पररवधान:

- ढसौदे में एक वशिष्ट पररवधान (ढडु 36), वय्यापक एवं असपष्ट ढाषा पर ढल देता है जो अधकिरयिों को कंटेंट को परतढिधत्ति करने की शक्त्ति परदान करता है ।
- यह सरकर के नरिदेशन में कार्य करने वाले 'अधकिृत अधकिरयिों' के परढाव के संबध में सवाल उढाता है ।

### ■ अलपसंख्यक सढुदररों पर संढावत्ति परढाव:

- वधियक को लेकर यह चत्ति जताई गई है क यिह ढारत्तीय अलपसंख्यक सढुदररों के उन्ढूलन या चयनात्ढक परतढिधत्ति को जन्ढ दे सकता है ।
- ढसौदे में असपष्ट ढाषा का उपयोग ढारत की सार्वढौढकि ढहुसंख्यक पहचान को ढढावा देने के लयि कयि जा सकता है ।

### ■ केढल वनियिढन से संबधत्ति ढुददे:

- केढल टेलीवजिन नेटवरक (वनियिढन) अधनियिढ, 1995 का उददेश्य शुरु में अवैध केढल ऑपरेटरों पर अंकुश लगाना था, लेकिन ऑपरेटरों, राजनेताओं, उदयढयिों और परसारकों की सांठगांठ के कारण इसमें पारदरशत्ति की कढी थी ।
- नया वधियक ढारत्तीय ढीडयिा उदयुग के ढीतर हत्तिों के टकराव और अपारदरशी अभयारसों सहत्ति ढौजूदा अधनियिढ के कारयान्वयन में वय्याप्त खरामयिों एवं सढस्याओं को संबोधत्ति करने में वकिल रहा है ।


### ■ सरकर के ढरोसे की कढी:

- वधियक को ढीडयिा वनियिढन के साथ सत्तारूढ सरकर के हालयिा इत्तिहास की रोशनी में ढी देखा जा रहा है, जो अधूरे वरदों और संदगिध परगिढों के एक पैटर्न को उजागर करता है ।
- वधियक को ढरष्ट्रीय कलयाण के लयि पेश कयि गए वविदासपद आईटी नयिढ, 2021 के साथ जोड़कर ढी देखा जा रहा है ।

### ■ ओलगिुगुलसिटकि ढीडयिा स्वढत्ति की परवृत्तयिाँ:



- 'सांस्कृतिक आक्रमण' और 'राष्ट्र-वरोधी' प्रोग्रामिंग पर बहस के बीच, सरकारी अधिकारियों और मीडिया घरानों की सांठगांठ कुलीन या ओलिगोपॉलिटिक मीडिया स्वामित्व (oligopolistic media ownership) को बढ़ावा दे सकती है।



## भारत में प्रभावी प्रसारण वनियमन के लिये आगे की राह

- **व्यापक वधिनः**
  - एक व्यापक और आधुनिक वधियी ढाँचा वकिसति करें जिसमें पारंपरिक टेलीवजिन, OTT प्लेटफॉर्म, डजिटल मीडिया और उभरती प्रौद्योगिकियों सहित प्रसारण के सभी पहलू शामिल हों।
  - कंटेंट की वविधिता को बढ़ावा देने के लिये प्रसारकों और कंटेंट निर्माताओं के बीच प्रतस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करें। अभिव्यक्तियों और दृष्टिकोणों की बहुलता सुनिश्चित करने के लिये मीडिया स्वामित्व की एकाग्रता से बचें।
- **हतिधारक परामर्शः**
  - उद्योग वशिषज्जों, कंटेंट निर्माताओं, प्रसारकों और आम लोगों की अंतरदृष्टि प्राप्त करने के लिये हतिधारक परामर्श को प्राथमिकता दें। सुवज्ज वनियमन के निर्माण के लिये वविधि दृष्टिकोण सुनिश्चित करें।
- **प्रौद्योगिकी के प्रति अनुकूलनशीलताः**
  - ऐसे वनियमन डजिाइन करें जो प्रौद्योगिकीय प्रगतिके अनुकूल हों। मीडिया परदृश्य की तेज़ी से वकिसति हो रही प्रकृतिपर वचिार करें और सुनिश्चित करें कि वनियमन समय के साथ प्रासंगिक एवं प्रभावी बने रहें।
- **कंटेंट वर्गीकरण और रेटगिः**
  - दर्शकों के लिये स्पष्ट दशानरिदेश प्रदान करने के लिये एक सुदृढ़ कंटेंट वर्गीकरण एवं रेटगि प्रणाली लागू करें। यह सुनिश्चित करेगा कि दर्शक सूचित वकिल्प चुन सकें और यह उपयुक्तता के आधार पर कंटेंट को वनियमित करने में मदद करेगा।
- **स्वतंत्र नयामक नकियाः**
  - अनुपालन को लागू करने और नगरानी करने के अधिकार के साथ एक स्वतंत्र नयामक नकिया की स्थापना करें। नयामक नरिण्यों में पारदर्शिता, नषिपकषता और जवाबदेही सुनिश्चित करें।
- **प्लेटफॉर्मों के लिये वभिदति दृष्टिकोणः**
  - पारंपरिक टीवी, OTT और डजिटल मीडिया सहित प्रसारण प्लेटफॉर्मों की वविधिता को चहिनति करें। प्रत्येक प्लेटफॉर्म की वशिषिट वशिषिताओं और चुनौतियों को चहिनति करते हुए वनियमन में एक वभिदति दृष्टिकोण अपनाएँ।
- **नयिमति समीक्षा और अद्यतनः**
  - वनियमों की नयिमति समीक्षा और अद्यतन के लिये एक तंत्र स्थापति करें। यह नयामक ढाँचे को तकनीकी परिवर्तनों, सामाजिक बदलावों और उभरती चुनौतियों से अवगत रहने की अनुमति देगा।
- **स्पष्ट प्रवर्तन तंत्रः**
  - नयामक उल्लंघनों के लिये स्पष्ट प्रवर्तन तंत्र को परभिषति करें। नयामक ढाँचे की अखंडता को बनाए रखने के लिये शकियात, जाँच और प्रतबिधों से नपिटने के लिये एक नषिपकष एवं कुशल प्रक्रिया स्थापति करें।
- **मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देनाः**
  - जनता को ज़मिेदार मीडिया उपभोग के बारे में शकषि करने के लिये मीडिया साक्षरता कार्यक्रमों में नविश करें। सूचित दर्शक वर्ग एक स्वस्थ मीडिया वातावरण में योगदान देता है और अत्यधिक नयामक उपायों की आवश्यकता को कम करता है।
- **अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यासः**
  - प्रसारण वनियमन में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यासों का अध्ययन करें और उन्हें शामिल करें। भारत के अद्वितीय सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ का ध्यान रखते हुए प्रभावी रणनीतियों अपनाने के लिये अन्य देशों के अनुभवों से सीखें।

## नषिकरष

प्रसारण वनियमन केवल अनुपालन के बारे में नहीं है बल्कि एक ऐसा वातावरण बनाने के बारे में भी है जो विकास, नवाचार और संचार सेवाओं तक न्यायसंगत पहुँच को प्रोत्साहित करे। नयामक पर्यवेक्षण और उद्योग स्वायत्तता के बीच इष्टतम संतुलन की तलाश कर, भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहे दूरसंचार क्षेत्र में दीर्घकालिक सफलता के लिये रणनीतिक रूप से स्वयं को स्थापति कर सकता है।

**अभ्यास प्रश्न:** भारत में प्रसारण सेवा (वनियमन) वधियक 2023 को स्वरुप प्रदान करने से संबद्ध प्राथमिक चिंताएँ कौन-सी हैं? देश में दूरसंचार क्षेत्र के लिये सुदृढ़ वनियमन स्थापति करने और उन्हें बनाए रखने पर लक्षति नीतगित रणनीतियों के सुझाव दीजिये।

## वधिकि अंतरदृष्टि:

[प्रसारण सेवा \(वनियमन\) वधियक 2023](#)

<https://www.drishtijudiciary.com/hin/recent-judgements>

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष प्रश्न (PYQ)

**[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]**

प्रश्न. भारत में नमिनलखिति में से कसिके लिये साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रपिर्त करना कानूनी रूप से अनविर्य है? (2017)

1. सेवा प्रदाताओं
2. डेटा केंद्र
3. कॉर्पोरेट नकियाय

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

**[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]**

प्रश्न. अंकीयकृत (डजिटाइज़्ड) दुनिया में बढ़ते हुए साइबर अपराधों के कारण डाटा सुरक्षा का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। जस्टिस बी.एन. शरीकृषणा समतिकी रपिर्त में डाटा की सुरक्षा से संबंधति मुद्दों पर सोच-वचिर कयिा गया है। आपके वचिर में साइबर स्पेस में नजिी डाटा की सुरक्षा से संबंधति इस रपिर्त की खूबियाँ और खामियाँ क्या-क्या हैं? (2018)